न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 15/2019

1–ओमप्रकाश पुत्र भवंरलाल
2–बालुराम पुत्र गंगाराम
3–लक्ष्मणराम पुत्र भंवरलाल
समस्त जाति जाट निवासीगण गुढासाल्ट तहसील नावां जिला नागौर राज0।

.....अपीलान्ट

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नावां जिला नागौर

2.–पटवारी हल्का नावां, तहसील नावां जिला नागौर

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री महेन्द्र खिलेरी व श्री अधिवक्तागण अपीलान्ट की ओर से

2–श्री विकास सिंवाल व श्री मो0रफीक अपीलान्ट 01 की ओर से

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 25.02.2019 द्वारा तहसीलदार नावां प्रकरण संख्या 03/18 अन्तर्गत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 बअनुवान सरकार जरिये तहसीलदार नावां विरूद्ध ओमप्रकाश वगै0

अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक:21.01.2021

{1} –मामलें के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नावां ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध तहसीलदार नावां को एक रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण ने मौजा ग्राम सांभर झील नावां खसरा नम्बर 01 रकबा 30.00 हैक्टर किस्म गै0मु0 झील पर नमक क्यार,कैलाल व ट्यूबवैल बनाकर अतिक्रमण कर रखा है जो कि सरकार (गै0मु0 झील) की भूमि है। इस पर तहसीलदार नावां द्वारा पटवारी हल्का नावां की जांच रिपोर्ट व भू0अ0 निरीक्षक नावां की जॉच रिपोर्ट में अप्रार्थीगण का अतिक्रमण बताया गया। पटवारी हल्का नावां की रिपोर्ट के अनुवार तहसीलदार नावां द्वारा एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत दिनांक 7.02.2018 को पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गयी। पटवारी हल्का नावां की जांच रिपोर्ट व भू0अ0 निरीक्षक नावां खसरा परिवर्तनशील अनुसार अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन अन्तर्गत 91 एल0आर.एक्ट 1956 के तलब किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस अप्रार्थीण के आबाद मकान पर चस्पा से तामिल प्राप्त हुआ

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण की आरे से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ने वकालतनामा एवं जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया । प्रस्तुत जवाब की जांच हल्का पटवारी से करवायी गयी। पटवारी ने व.भू0अ0 निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण का अतिक्रमण होना बताया है। अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ राजकीय भूमि से बेदखली की कार्यवाही अमल में लाई गयी।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 18.03.19 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील 18.03.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया । अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार नावां के प्रकरण संख्या 3/18 सरकार बनाम ओमप्रकाश वगै जाति जाट के फर्द अहकाम दिनांक 07.02.2018 से 25.02.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा निर्णय दिनांक 25.02.2019 की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति व भौतिक बेदखली एवं मांग कायमी आदेश की फोटोप्रति व साल्ट विभाग के कॉन्ट्रेक्टर की प्रति पेश कीं ।

{2} –वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया है किः–

{2}(1) –यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं दण्डादेश अधीन अपील कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(2) –अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अधीन अपील पारीत करने में विधिक एव तथ्यात्मक त्रुटि की है, निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(3) – यह है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अधिन अपील न्याय के सामान्य सिद्धान्तो के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(4) – यह है कि तहसीलदार नावां द्वारा पूर्णरूप से विधि विरूद्ध तरीके से उक्त कार्यवाही की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा भूमि पर पटवारी हल्का अतिक्रमण मानकर रिपोर्ट पेश की गई है एवं जिस पर तहसीलदार नावा द्वारा जुर्माना व बेदखल का आदेश पारित किया गया है वह भूमि कतई भी राजरू सरकार की नहीं हैं वह भूमि साभंर साल्ट लि0 सरकारी उधम की है जो कि राजरू सरकार के अधीन नहीं आता है एवं उसके संबंध में पूर्व में भी पत्र व्यवहारों व अन्य दस्तावेजों से यह प्रमाणित किया जा चुका है कि उक्त भूमि राज्य सरकार की नहीं है।

{2}(5) –यह है कि टेण्डर संख्या 53 (COM) Purchase/2015-18 नमक बनाकर उसे विक्रय करने का sevice contract पर ले रखा है। कॉन्ट्रेक्टर की छायाप्रति भी अपीार्थीगण ने जवाब के साथ पेश की है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{2}(6) –यह है कि अपीलार्थी गण ने अपने जवाब में बताया कि उन्होने letter of intent के आधार पर कार्य किया है जिसकी भी छायाप्रति अपीलार्थीगण ने अपने जवाब के साथ दस्तावेजी सबूत पर पेश की है। तथा अपीलार्थी की उक्त खसरा नम्बर पर कार्य करने की अवधि यानि loi की अवधि दिनांक 28.02.2018 को समाप्त हो रही थी जिसको सांभर साल्ट लि0 द्वारा कार्य अवधि दिनांक 30.06.2018 तक बढाई गई इस प्रकार अपीलार्थीगण ने सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया हैं ।

{2}(7) – यह है कि अपीलार्थीगण पूर्णरूप से विधिक प्रक्रिया अपनाकर ही उकत भूमि पर कार्य कर रहे है महज उन्हे तंग परेषान करने के लिये यह कार्यवाही अपनायी गयी है। अपीलार्थी द्वारा साल्ट विभाग में दिनांक 31.03.2017 तक 29,89,968/– रूपये जमा करवाये जा चुके है एवं इसी अनुसार नियमानुसार लगातार रूपये जमा करवाते हुये आ रहे है। एवं उक्त भूमि का कब्जा भी अपीलार्थ्रीगण को साल्ट विभाग द्वारा पूर्णरूप से विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये कानूनी रूप से सुपुर्द किया था जिसका मालिकाना हक साल्ट विभाग का है अतः अपीलार्थीगण द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है।

{2}(8) यह कि उक्त भूमि के भागीदारी विलेख में मूलचन्द कतई भागीदार नहीं था फिर भी उसको पक्षकार बनाया जाना विधि सम्मत नहीं है।

{3} – बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का नांवा की रिपोर्ट व जिसकी जॉच भ0अ0निरीक्षक नावां द्वारा कि गयी, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण ग्राम साभर झील नावां के खसरा नम्बर 1 रकबा 30.00 हैक्टर किस्म गै0मु0 झील पर नमक क्यार बना कर व पूर्व में भी सवंत 2074 में अतिक्रमण करने से अप्रार्थीगण के खिलाफ भौतिक रूप से बेदखली तथा लगान दर से 50 गुणा का 6000/– की शास्ति आरोपित करने का आदेश पारित किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध जो नोटिस जारी किये वो विधिवतरूप से नोंटिस आबाद मकान पर चस्पादंगी कर मौतबरान हस्ताक्षर व बयान कराये हुवे है। तथा अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि सुनवाई का अवसर नही दिया, जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने उपस्थिति होकर जवाब पेश किया जो शामील पत्रावली है, जिसकी पुनः जॉच पटवारी हल्का द्वारा करायी गयी व बयान लिये गये जिसमें अतिक्रमण यथावत पाया गया।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर देकर निर्णय किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतित नहीं होता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

:::: आ दे श ::::

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारीज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.02.2019 यथावत रखा जाता है।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांकः 18.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)